



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1451 वर्ष 2026

शिव कुमार उर्फ मुन्नू
बनाम

..... याची(गण)

उ०प्र० राज्य तथा 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : असीम कुमार राय, नीरज त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अन्तर्गत याची द्वारा आरंभ कार्यवाहियों में, 10-12-2004 को उप-खण्ड मजिस्ट्रेट (न्यायिक) सिराथू, कौशाम्बी/प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा आदेश पारित किया गया था। जिसका प्रवर्तनशील भाग निम्नवत् पठित है:-

“अतः राजस्व निरीक्षण की सीमांकन आख्या दिनांक 25-06-2024 व तहसीलदार सिराथू द्वारा अग्रसित आख्या दिनांक 07-08-2024 तथा संलग्न फील्ड बुक को स्वीकार करते हुए उक्त पुष्टि की जाती है। पत्रावली वास्ते पत्थर नायब तहसीलदार सिराथू को प्रेषित किया जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।”

2. यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक पूर्वोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

3. दूसरी तरफ, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि याची प्रत्यर्थी सं० 3 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा, वह शीघ्रता से मामले में निर्णय लेगा।

4. इस बात के दृष्टिगत, याची को इस आदेश के प्रमाणित प्रति के साथ आज से दो सप्ताह के अन्दर प्रत्यर्थी सं० 3 - उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिराथू, कौशाम्बी के समक्ष नया आवेदन/अभ्यावेदन प्रसतावित करने की अनुमति देते हुए वर्तमान रिट याचिका को अंततः निपटाया जाता है। यदि ऐसा होता है तो प्रत्यर्थी सं० 3 शीघ्रता से तथा अधिमानतः इस आदेश के प्रमाणित प्रति के पेश किये जाने की तिथि से छः सप्ताह के अवधि के अन्दर सर्वथा विधि के अनुसार इस पर निर्णय लेगा, यदि कोई विधिक बाधा नहीं है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”